हरियाणा सरकार

रक्षा सेवायें कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अक्तूबर, 2003

संख्या सा.का.नि.26/संवि.अनु.309/2003--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग क्षेत्रीय अमला (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

भाग I– सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग क्षेत्रीय अमला (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2003 कहे जा सकते हैं ।

(2) ये राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषायें :

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) "बोर्ड", से अभिप्राय है, जिला सैनिक बोर्ड ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) " नियोजन सैल" से अभिप्रायः है, जिला सेनिक बोर्ड में रोजगाार सैल ;

(घ) "सरकार"से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार;

(ड) "सचिव राज्य सैनिक बोर्ड" से अभिप्रायः है, सचिव, हरियाणा राज्य सैनिक बोर्ड ;

(च) "सचिव" से अभिप्रायः है, सचिव, जिला सैनिक बोर्ड ;

(छ) "सेवा से अभिप्रायः है, हरियाणा रक्षा सेवायें कल्याण विभाग क्षेत्रीय अमला (ग्रुप घ) सेवा ।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में उल्लिखित पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्ति किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिक्ता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,––

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, यूगाण्डा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व) टंगानीका और जंजीबार (जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड.) से सम्बन्धित कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे रोजगाार सैल या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है । किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह, समय–समय पर यथा संशोधित भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पैंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक की व्याख्या के पद अधीन भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा में न आता हो ।

(4) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक रक्षा सेवा से उनकी सेवानिवृत्ति के समय सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालय रक्षा मुख्यालय द्वारा जारी की गई डिस्चार्ज बुक/सेवा निवारण प्रस्तुत न करे :

परन्तु कोई कर्मचारी, जिसकी सेवायें रक्षा सेवा से निम्नलिखित कारणों से समाप्त की गई हों:––

(i) विपरीत रिपोर्ट ; या

(ii) अनुशासनिक आधार ; या

(iii) दुराचरण ; या

(iv) अकुशलता ।

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई कर्मचारी जो उचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा मानसिक रूप से असमर्थ प्रमाणित होने के कारण रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं होगा ।

(5) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति के चरित्र सेवोन्मुक्त बुक (डिस्चार्ज बुक) के रिकार्ड के अनुसार "अनुकरणीय" होना चाहिये । अनुकरणीय चरित्र के व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में, भबहुत अच्छा" चरित्र रखने वालों पर विचार किया जायेगा ।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड के रोजगाार सैल द्वारा उम्मीदवारों के नाम प्राप्त होने की नियत तिथि को पच्चीस वर्ष की आयु से कम या पचास वर्ष की आयु से अधिक का हो :

परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति विधिमान्य और कारगर नहीं होगी यदि आर्मड फोर्स से सम्बन्णित नियुक्तिधारी की सेवोन्मुक्त के पश्चात् की पांच वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो जाती है या वह उक्त पांच वर्ष की सीमी के समाप्त होने के बाद सेवा मे आता है ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा में सभी पदों पर नियुक्तियां सचिव द्वारा की जायेगी ।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी योगयताओं में रोजगार सैल या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे ।

अयोग्तायें :

८. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढ़ंग :

९. (१) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगीः--

(क) सेवादार की दशा में :-

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार की या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(ख) सफाईवाला की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(ग) चौकीदार एवं माली की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार का भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(ख) रसोईया की दशा में,--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार का भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ;

(2) जब कभी कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रीति को निर्धारित करेगा जिसमें यह रिक्ति भरी जायेगी ।

परिवीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर, नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा, नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु,--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर कये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन परिवीक्षा अवधि की में गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया हो ,परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोष्जनक न रहा हो तो, वह,--

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,--

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में, कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा, अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,--

(i) ऐसे व्यक्ति की, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया हो तो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई अस्थाई रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तें अनुज्ञात करे ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्टता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगाातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्टता प्रत्येंक संवर्ग के लिये अलग–अलग निश्चित की जायेगीः

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा एक ही तिथि को नियुक्त किए गये सदस्यों की दशा में रक्षा सेवा की ज्येष्टता निम्नलिखित रिति में निश्चित की जायेगीः–

परन्तु यह और कि एक ही तिथि। को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी :

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ट होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्टता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्टता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें से वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों

में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ट होगा

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिये जाने पर, सेवा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये प्रतिनियुक्त निम्नलिखित के अधीन भी किया जा सकता है :-

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित है या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अर्न्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो ; अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुटटी, पैशंन तथा अन्य सभी मामलों में सम्बन्ध मे जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप में उपबन्ध नही किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियत्रित होगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा उसके बाद अपनाये या बनाये जायें ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय, पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा निर्यंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है :

ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा और जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे पुनः लगवायेगा ।

राज्य निष्ठा की शपथ :

16. सेवा में प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्यनिष्टा की शपथ न ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढ़ील देना आवश्यक या उचित हो, वहां यह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नही होगी

परिशिष्ट क
(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या स्थाई	अस्थाई	कुल	वेतनमान
1.	2	3			4
1.	सेवादार	34	2	36	2550-55-2660-दक्षतारोध-60-3200 रूपये
2.	सफाईवाला	28	5	33	2550-55-2660-दक्षतारोध-60-3200 रूपये
3.	चौकीदार एवं माली	34	2	36	2550-55-2660-दक्षतारोध-60-3200 रूपये
4.	रसोईया	17	2	19	2550-55-2660-दक्षतारोध-60-3200 रूपये

परिशिष्ट ख
(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1.	2	3	4
1.	सेवादार	(i) हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिक या नौ सेना या वायु सेना में इसके समकक्ष पद । (ii) हिन्दी का ज्ञान ।	i) हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिक या नौ सेना या वायु सेना में इसके समकक्ष पद । (ii) हिन्दी का ज्ञान ।
2.	सफाईकर्ता	(i) सेना या इसके समकक्ष पद पर पूर्व सेवा में सफाईकर्ता ट्रेड से होना चाहिए । (ii) हिन्दी का ज्ञान ।	(i) वह सफाईकर्ता ट्रेड से होना चाहिए । (ii) हिन्दी का ज्ञान ।
3.	चौकीदार एवं माली	(i) हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिक या नौ सेना या वायु सेना में इसके समकक्ष पद । (ii) हिन्दी का ज्ञान । (iii) एक वर्ष के लिये माली का अनुभव	(i) हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिक या नौ सेना या वायु सेना में इसके समकक्ष पद । (ii) हिन्दी का ज्ञान । (iii) एक वर्ष के लिये माली का अनुभव
4.	रसोईया	(i) सेना के हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिक या नौ सेना या वायु सेना में इसके समकक्ष पद । (ii) वह खाना बनाना जानता हो । (iii) हिन्दी का ज्ञान ।	(i) सेना कें हवलदार रैंक तक के भूतपूर्व सैनिक या नौ सेना या वायु सेना में इसके समकक्ष । (ii) वह खाना बनाना जानता हो । (iii) हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग
((देखिये नियम 14(1))

क्रम संख्या	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियो का स्वरुप	शास्ति लगाने के सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	
1.	सेवादार	सचिव	**लघु शास्तियाँ** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	सचिव	सचिव,राज्य सैनिक बोर्ड
2.	सफाईकर्ता				
3.	चौकीदार एवं माली				
4.	रसोईया				
			(ii) परिनिन्दा ;		
			(iii) पदोन्नति रोकना ;		
			(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के, पास है या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी-पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ;		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना,		
			बड़ी शास्तियां (vi) संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकना ;		
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयपान में निम्नतर		

प्रक्रम पर, अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित के क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर या, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था पदोन्नति के लिये साधारण रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा ;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;

(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरर्हता होगी ।

परिशिष्ट घ

((देखिये नियम 14(2))

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	सेवादार	(i)पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	सचिव	सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड
2.	सफाईकर्ता	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति		
3.	चौकीदार–कम–माली			
4.	रसोइया			

ए0एन0माथुर

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVT GAZ. (EXTRA.) NOV.4, 2003
(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

DEFENCE SERVICES WELFARE DEPARTMENT
Notification

The 31st October, 2003

No.GSR 26/Const./Art. 309/2003—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Defence Service Welfare Department Field Staff (Group D) Service namely :-

PART-I—GENERAL

Short title and commencement :

1. (1) These rules may be called the Haryana Defence Services Welfare Department Field Staff (Group D) Service Rules, 2003.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Board" means the Zila Sainik Board;

(b) "Direct Recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in service of the Government of India or any State Government;

(c) "Employment Cell" means employment Cell in Zila Sainik Board ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Secretary Rajya Sainik Board" means the Secretary, Haryana Rajya Sainik Board ;

(f) "Secreatry" means the Secreatry, Zila Sainik Board;

(g) "Service" means the Haryana Defence Service Welfare Department Field Staff (Group D) Service.

PART-II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts :

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix-A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or inductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidate appointed to service :

4. (i) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,--

(a) A citizen of India; or
(b) a subject of Nepal; or
(c) a subject of Bhutan; or
(d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist day of January, 1962, with the intention of permanently setting in India; or
(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United republic of Tanzania (formerly) Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Employment Cell or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is an ex-serviceman covered under the expression of ex-serviceman as defined by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training as amended from time to time.

(4) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces the discharge book/service particulars issued by the concerned Records Office/ Army Head Quarters at the time of his discharge from Defence Service:

Provided that any Officer whose services have been terminated from Defence Service as a result of :-

(i) an adverse report ; or

(ii) disciplinary grounds ; or

(iii) misconduct ; or

(iv) inefficiency ;

shall not be eligible for appointment to any post in the service :

Provided further that any Official who has been retired from Defence service on account of mental incapacity, certified by proper medical authority shall also not be eligible for appointment to any post in the Service.

(5) Persons to be eligible for appointment to any post in the service should have possessed “exemplary” character as per record in the discharge book. In case of non availability of persons of exemplary character, those possessing “very good” character will be considered.

Age :

5. No person shall be appointed to nay post in the Service by direct recruitment who is less than twenty five years or more than fifty years of age on the last date of submission of application to the Employment Cell of Board :

Provided that no such appointment shall be valid and operative if a period of five years has already elapsed since the discharge of te concerned appointee from Armed Forces or he joins the service after the lapse fo the said five years limit.

Appointing Authority :

6. All appointments to the posts in the Service shall be made by the Secretary.

Qualifications :

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix-B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of recruitment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Employment Cell or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled Castes, Backward Classes and Physical Handicapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications :

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

9. (1) Recruitment to the Service shall be made –

(a) in the case of Peon,--

(i) by direct recruitment ;or

(ii) by transfer or deputation of an official already on the Service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Sweeper,--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) in the case of Chowkidar-cum-Mali,--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) in the case of Cook.--

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(2) As and when any vacancy occurs or is about to occur unless otherwise provided, the appointing authority shall determine the manner in which the same shall be filled in.

Probation :

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise;

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation :

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as a period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may:-

(a) If such person is appointed by direct recruitment dispense with his service : and

(b) If such person is appointed otherwise then by direct recruitment-

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of this previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,--

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory :

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,--

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment ; if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the term and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority :

11. Seniority, inter ser of members of service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the service, seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment on the same date, the Defence Service seniority shall be taken as the seniority :

Provided further that in case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

12(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the service may also be deputed to serve under:-

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the state Government, or a municipal corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company or an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other state Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any Organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters:

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under articles 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix-D to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service shall got himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision :

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations :

19. Nothing contained inthese rules ahll affect reservations and other concession required to be provided for Scheduled castes, backward Classes, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Appendix A
(See rule 3)

Sr.No.	Desigantion of posts	Number of Posts Permanent	 Temporary	 Total	Scale of Pay
1	2	3	4	5	6
1.	Peon	34	2	36	Rs.2550-55-2660-EB-60-3200
2.	Sweeper	28	5	33	Rs.2550-55-2660-EB-60-3200
3.	Chowkidar-cum-Mali	34	2	36	Rs.2550-55-2660-EB-60-3200
4.	Cook	17	2	19	Rs.2550-55-2660-EB-60-3200

APPENDIX B
(See rule 7)

Sr.No.	Designation of Posts	Academic Qualification and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1.	2.	3.	4.
1.	Peon	(i) An Ex-serviceman of any rank upto Havildar or equivalent rank from Navy or Air Force. (ii) Knowledge of Hindi	(i) An Ex-serviceman of any other rank upto Havildar or equivalent rank from Navy or Air Force. (ii) Knowledge of Hindi
2-	Sweeper	(i) He should be from Sweeper trade of former service. (ii) Knowledge of Hindi	(i) He should a Sweeper. (ii) Knowledge of Hindi
3.	Chowkidar-cum-Mali	(i) An Ex-serviceman of any rank upto Havildar or equivalent rank from Navy or Air Force. (ii) Knowledge of Hindi (iii) Experience of Mali for one year.	(i) An Ex-serviceman of any rank upto Havildar or equivalent rank from Navy or Air Force. (ii) Knowledge of Hindi (iii) Experience of Mali for one year.
4.	Cook	(i) An Ex-serviceman of any rank upto Havildar or equivalent rank from Navy or Air Force. (ii) Knowledge of Hindi (iii) He should know Cooking	(i) An Ex-serviceman of any rank upto Havildar or equivalent rank from Navy or Air Force. (ii) Knowledge of Hindi (iii) He should know Cooking .

APPENDIX C
(See rule 14(1))

Sr.No.	Desigantion of Posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1. 2 3 4..	Peon Sweeper Chowkidar-cum-Mali Cook	Secretary	MINOR PENALTIES (i) warning with a copy in the personal file (Character roll); (ii) Censure ; (iii) withholding of promotion ; (iv) recovery from pay of the whole or part of pencuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State.Government, or a company or an association or a body ofindividuals, whether incorpo-rated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or University set up by an Act or Parliament or of the Legislature of a State; and	Secretary	Secretary, Rajya Sainik Board.

			(v) withholding or incements of pay without cukulative effect; (MAJOR PENALTIES) (vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect ; (vii) reduction to a lower state in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the further increments of his pay ; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding		

			conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, to that grade, post or service; (ix) compulsory retirement ; (x) removal from service which shall not be disqualification for further employment under Government, and (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification under the Government.		

APPENDIX D
[See rule 14(2)]

Sr.No.	Designation of Posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Peon Sweeper Chowkidar-cum-Mali Cook	(i) reducing or withholding the amount or ordinary or additional pension admissible under the tules Governing pension; (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Secretary	Secretary, Rajya Sainik Board.

A.N.MATHUR
Chief Secretary to Government, Haryana.